राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1494/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत–बी, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जैन इलेक्ट्रिक स्टोर्स,
चमेली वाला मार्केट, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री आर.एन.गर्ग,
अधिकृत अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राज़स्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 243/अपी–द्वितीय/2008–09/जे.पी.बी. में पारित आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 11.03.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(7) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 96–97 एकतरफा आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर रू0 1,16,439/–, ब्याज रू0 55,891/– तथा शास्ति रू0 5,050/– कुल मांग रूपये 1,77,880/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.03.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, सशक्त अधिकारी को प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा जो नोटिस तामिल दर्शाए गए है वे प्रत्यर्थी के किसी संबंधित व्यक्ति को तामिल नहीं है व नोटिस प्राप्त न होने के कारण निर्धारित तिथि को प्रत्यर्थी उपस्थित न हो सका। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एकजाही बिक्री प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त

लगातार.....2

बिक्री रू0 9,70,328/– कर चुकी थी जिस पर कोई कर देय नहीं था, उसके बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा समस्त बिक्री बिना किसी आधार के कर योग्य मानते हुए उस पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण करते हुए एकतरफा आदेश पारित कर दिया एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध जो मांग आरोपित की गई जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है। उनका निवेदन था कि अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड के अवलोकन पर पाया गया कि नोटिस तामिली एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री प्रपत्र में घोषित बिक्री से सम्बन्धित तथ्यों पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विस्तृत जांच अपेक्षित होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष